http://www.developindiagroup.co.in/

यू.पी.एस.सी

मुख्य परीक्षा अध्ययन सामाग्री

सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र – 3

(शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

Published By
Develop India Group

http://www.developindiagroup.co.in/

Published by
Develop India Media Group
Allahabad
Mobile : 08756987953
email : subscriptiondevelopindia@gmail.com

Edition : 2018

Develop India Group Aims
We conduct ***Study Material Programme***, ***All India Correspondence Courses***, ***Test Series Programmes*** for various competitive exams with our expert faculties. Our aim to provide quality of materials to you in your remote areas.

You can find here
Develop India weekly Newspaper, ***MINERVA Hindi Monthly Magazine***, ***Books for all competitive Exams***,
Notes & Study Materials for all competitive exams.

If you want to buy any kind of entrance exam forms/vacancy/previous year question papers, you can contact us.

Copywrite
All matter compile in this notes from various sources believed to be reliable. We published very carefully to this matter, its authors can not take guarantee the occuracy or completeness of any information published herein and neither ***Develop India Media Group*** nor its authors shall be responsible for any errors, omissions or damage arising out of use of this information.

No part of this notes may be reproduce or transemitted without the written permission of the publisher.

All right reserved.

Note : All disputes will respect to this publication shall be subject to jurisdiction of the courts, tribunals and forums of Allahabad, India.

Contact us
CORPORATE OFFICE
Develop India Media Group
Allahabad
Mobile : 08756987953
emails : subscriptiondevelopindia@gmail.com,
developindiamediagroup@gmail.com

अनुक्रमणिका

- भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना 5
- भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार 5
- रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773 5
- पिट्स इंडिया ऐक्ट, 1784 5
- 1813 का चार्टर ऐक्ट 5
- 1833 का चार्टर ऐक्ट 5
- 1853 का चार्टर ऐक्ट 5
- 1858 का भारत सरकार अधिनियम 5
- 1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम 6
- 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 6
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले–मिंटो सुधार) 6
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 (माण्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड सुधार) 6
- नेहरू रिपोर्ट 6
- भारतीय शासन अधिनियम, 1935 6
- भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 7
- भारतीय संविधान की विशेषताएं 8
- उद्देशिका 9
- उद्देशिका की वैधानिक स्थिति 11
- उद्देशिका का दर्शन और महत्त्व 11
- राज्यों का पुनर्गठन 11
- धर आयोग 11
- जेवीपी समिति 11
- फजल अली आयोग 11
- छोटे बनाम बड़े राज्य 12
- नागरिकता 12
- नागरिकता प्राप्ति के तरीके 12
- नागरिकता की समाप्ति 13
- मूल अधिकार 13
- नीति निदेशक तत्व 17
- नीति निदेशक सिद्धांतों और मूलाधिकारों का सम्बंध 18
- मूल कर्त्तव्य 18
- संविधान संशोधन 18
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां 19
- संघ–राज्य क्षेत्र 19
- स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां 23
- पंचायती राज व्यवस्था 23
- 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं 23
- पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु सुझाव 24
- नगरीय स्थानीय शासन / नगरपालिकाएं 24
- 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं एवं महत्त्व 24
- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान 25
- सरकारिया आयोग 27
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना 27
- संविधान के स्रोत 27
- संसद और राज्य विधायिका, संरचना, कार्य, कार्य–संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय 28
- संसद 28
- राज्यसभा 28
- लोकसभा 29
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 29
- संसदीय विशेषाधिकार 29
- सामूहिक विशेषाधिकार 29
- व्यक्तिगत विशेषाधिकार 30
- वित्तीय प्रावधान 30
- बजट का अधिनियमन 30
- संसदीय समितियां 31
- राज्य कार्यपालिका 32
- राज्यपाल 32
- राज्यपाल की भूमिका एवं स्थिति 33
- राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन 34
- मुख्यमंत्री 34
- मंत्रिपरिषद 34
- राज्य का महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) 34
- राज्य विधान मंडल 35
- विधानसभा 35
- विधान परिषद 35
- मुख्य सचिव 35
- मुख्य सचिव की भूमिका एवं कार्य 36
- अवशिष्ट कार्य 36
- राज्य सचिवालय 36
- सचिवालय के कार्य एवं भूमिका 36
- निदेशालय 37
- सचिवालय–निदेशालय सम्बंध 38
- कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्य 38
- भारत का राष्ट्रपति 38
- निर्वाचन 39
- संवैधानिक स्थिति 39
- राष्ट्रपति की शक्तियां 39
- कार्यपालिका शक्तियां 39
- विधायी शक्तियां 40
- वीटो शक्ति 40
- वित्तीय शक्तियां 40
- न्यायिक शक्तियां 40
- कूटनीतिक शक्तियां 41
- आपातकालीन शक्तियां 41
- राष्ट्रीय आपात 41
- राष्ट्रपति शासन 41
- वित्तीय आपात 42
- राष्ट्रपति की भूमिका 42
- प्रधानमंत्री 43
- राष्ट्रपति–प्रधानमंत्री सम्बंध 44
- कैबिनेट (मंत्रिमंडल) 44
- मंत्रिमंडल समितियां 44
- महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) 45
- न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य 45
- उच्चतम न्यायालय 45
- न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया 45
- उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 45
- उच्चतम न्यायालय की भूमिका 46
- लोकहित याचिका 46
- न्यायिक सक्रियता 46
- उच्च न्यायालय 46
- अधीनस्थ न्यायालय 47

http://www.developindiagroup.co.in/

- सरकार के मंत्रालय और विभाग 47
- प्रभाव समूह 49
- औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका 49
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं 49
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व 50
- सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध–न्यायिक निकाय 60
- निर्वाचन आयोग 60
- परिसीमन आयोग 61
- नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक 61
- वित्त आयोग 61
- योजना आयोग 62
- राष्ट्रीय विकास परिषद 62
- नियामक 63
- न्यायाधिकरण 64
- प्रशासनिक न्यायाधिकरण 64
- हित–समूह 66
- स्वैच्छिक संगठन 66
- योजना आयोग 67
- आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विकेंद्रीकरण आयोजना 71
- घरेलू हिंसा अधिनियम 72
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 73
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय 73
- गरीबी और भूख से संबंधित विषय 74
- गरीबी निवारण कार्यक्रम 74
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष 75
- लोकपाल 75
- लोकायुक्त 75
- सुशासन के तत्व 76
- भारत के संदर्भ में सुशासन 76
- उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की चुनौतियां 77
- ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं 78
- नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय 81
- नागरिक चार्टर 81
- केंद्रीय सतर्कता आयोग 81
- केंद्रीय जांच ब्यूरो 81
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका 81
- संवैधानिक संरक्षण 82
- नई अखिल भारतीय सेवाएं 82
- संघ लोक सेवा आयोग 82
- भारत एवं इसके पड़ोसी देशों से संबंध 82
- भारत और पाकिस्तान 82
- जम्मू–कश्मीर समस्या 83
- मैकनॉटन योजना 84
- डिक्सन योजना 84
- ग्राह्म योजना 84
- भारत–चीन 86
- भारत व चीन के बीच हुए 13 समझौते 88
- 10 सूत्रीय विचारधारा 88
- भारत–नेपाल 88
- शांति तथा मैत्री पूर्ण संधि 88
- व्यापार वाणिज्य संधि 89
- वर्तमान स्थिति 89
- भारत–बांग्लादेश 90
- भारत–श्रीलंका 93
- भारत–म्यांमार 96
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार 97
- दक्षिण–पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ – आसियान 97
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन – दक्षेस 97
- गुट निरपेक्षता 98
- राष्ट्रमंडल 100
- विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत पर प्रभाव 101
- महत्त्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश 103
- संयुक्त राष्ट्र संघ 103
- संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवाधिकार 107
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 109
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 110
- विश्व स्वास्थ्य संगठन 110
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन 111
- खाद्य एवं कृषि संगठन 112
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 112
- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक/ विश्व बैंक 112
- विश्व बैंक की अन्य संस्थाएं 113
- विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन 113
- सार्वभौम डाक संघ 114
- विश्व व्यापार संगठन 114
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 114
- विश्व पर्यटन संगठन 115
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 115
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन 115
- अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन 115
- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 116
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 116
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 116
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 117
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 117
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 117
- मानव अधिकारों के लिए सं.रा. हाई कमिश्नर का कार्यालय 117
- यूरोपीय संघ 118
- ग्रुप–8 119
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 119
- एशियाई विकास बैंक 119
- अफ्रीकी विकास बैंक 119
- ग्रुप–10 119
- इस्लामिक विकास बैंक 119
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन 119
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 119
- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ 120
- दक्षिणी साझा बाजार 120
- एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 120
- यूरोपियन आर्थिक समुदाय 120
- उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता 120
- अंतर्राष्ट्रीय मंच 120
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन 120
- कोलम्बो योजना 121
- मेकांग–गंगा सहयोग 121
- गल्फ सहयोग परिषद 121
- शंघाई सहयोग संगठन 121
- अरब लीग 121
- अफ्रीकी संघ 122
- अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति 122
- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 122
- इब्सा 123
- मेडिसिन्स सेन्स फ्रंटियर्स 123
- एमनेस्टी इंटरनेशनल 123
- इस्लामिक सम्मेलन संगठन 123
- ग्रीनपीस 124
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन 124
- प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष 124
- अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति 124
- विश्व सामाजिक मंच 124

http://www.developindiagroup.co.in/

शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार

भारतीय संविधान का निर्माण अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर था। ब्रिटिश काल के दौरान विकसित लक्षणों ने संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि निर्मित की। ये लक्षण निम्नलिखित हैं :

रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773

- इस ऐक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण का आरम्भ हुआ।
- बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बना।
- मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी बंगाल के अधीन हो गई।
- इसने भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली का आरम्भ किया।
- कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश *सर एलिजाह इम्पे* बने।

पिट्स इंडिया ऐक्ट, 1784

- इस अधिनियम को रेग्युलेटिंग ऐक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया।
- इसके द्वारा भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया गया।
- कम्पनी के शासकीय निकाय अर्थात् निदेशक मंडल के ऊपर छह सदस्यीय *'नियंत्रक मंडल'* का गठन किया गया। भारत मंत्री, वित्त मंत्री, चार प्रीवी काउंसिलर सदस्यों को भारतीय मामलों का आयुक्त बनाया गया।
- पिट्स ऐक्ट की व्यवस्था 1857 तक चलती रही।

1813 का चार्टर ऐक्ट

- कम्पनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार (चाय को छोड़कर) को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई।
- कम्पनी की वाणिज्यिक आय को क्षेत्रीय राजस्व से पृथक कर दिया गया।
- स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया।
- भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया।
- *धर्म विभाग* (एक्लीजिओस्टिकल विभाग) की स्थापना की गई। इस ऐक्ट में नीति–निदेशक तत्त्वों के बीज देखने को मिलते हैं।

1833 का चार्टर ऐक्ट

- ये ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की ओर अंतिम चरण माना जाता है। कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और वह प्रशासनिक संस्था की भूमिका निभाने लगी।
- बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। *लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य* बने।
- बॉम्बे, मद्रास की सरकारों को विधायी अधिकार से वंचित कर दिया गया।
- इसमें यह प्रावधान किया गया कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर किसी को किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
- लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और IPC, CrPC और CPC का निर्माण किया गया।
- पहली बार इस अधिनियम में भारतीय संविधान में वर्णित मूलाधिकारों के बीज देखने को मिलते हैं।

1853 का चार्टर ऐक्ट

- इस ऐक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां पृथक की गईं।
- भारत के लिए अलग विधान परिषद की स्थापना की गई।
- भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
- विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई तथा उसे वीटो पावर भी दी गई।
- कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता प्रणाली को मान्यता दी गई।

1858 का भारत सरकार अधिनियम

- इसे *'ऐक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया'* कहा गया।
- कम्पनी का शासन समाप्त किया गया और भारतीय सत्ता ब्रिटिश ताज को दे दी गई।
- भारतीय मामलों का प्रभारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसे भारत मंत्री कहा गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। भारत मंत्री (सचिव) ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
- गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार ***लॉर्ड कैनिंग*** *भारत के अंतिम गवर्नर जनरल* और *प्रथम वायसराय* बने।

http://www.developindiagroup.co.in/

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम

1861 ई. में 'प्रथम भारतीय परिषद् अधिनियम' पारित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :

- वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
- वायसराय की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार दिया गया।
- पहली बार भारतीयों को विधायी कार्यों में संलग्न किया गया।
- गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद् की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रह सकते थे।

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :

- इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत की।
- वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई।
- कुछ शर्तों के अधीन सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले–मिंटो सुधार)

- मार्ले–मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई।
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया।
- सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर बहस का अधिकार दिया गया।
- परिषद के भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। दो भारतीय के.सी. गुप्ता तथा सैय्यद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (माण्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड सुधार)

- यह माउंटफोर्ड योजना पर आधारित था, जिसे 1921 से भारत में लागू किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया।
- प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रांतीय सरकार के दो भाग हो गए :

  1. आरक्षित : जिसका प्रशासन गवर्नर अपने द्वारा मनोनीत सदस्यों के माध्यम से करता था।

  2. हस्तांतरित : जिसका प्रशासन गवर्नर, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था।
- स्थानीय स्वशासन प्रांतीय तथा हस्तांतरित विषय बनाया गया।
- *केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना* की गई, जिन्हें विधानसभा तथा राज्य परिषद का नाम दिया गया। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल तीन वर्ष का था और ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी।
- *भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली* की स्थापना की गई।
- वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई।
- महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा *स्त्रियों को मताधिकार* दिया गया।

नेहरू रिपोर्ट

विभिन्न राजनीतिक दलों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया और भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका प्रतिवेदन 10 अगस्त, 1928 को प्रकाशित हुआ, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

- भारत के साथ अन्य उपनिवेशों की तरह ही व्यवहार किया जाए।
- भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए।
- संसद में दो सदन हों – निचला सदन, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित हो। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे। कार्यकारी परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो। इसी प्रकार के उपबंध प्रांतों में लागू किए जाएं।
- निर्वाचक मंडल संयुक्त और मिश्रित हों। केंद्र में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएं। जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वहां भी उनके लिए आरक्षण हो।
- जहां आरक्षण किया गया है वहां भी मुस्लिम या गैर–मुस्लिम अतिरिक्त स्थानों पर चुनाव लड़ सकेंगे।
- सिंध को अलग करके मुस्लिम बहुल प्रांत बनाया जाए।
- पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को, प्रांत का दर्जा दिया जाए।
- स्थानों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए हो।

भारतीय शासन अधिनियम, 1935

- भारत के लिए तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम था। यह सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें 14 भाग 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :
- भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- *केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना* का प्रस्ताव किया गया।
- *प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त* किया गया।
- *केंद्र एवं प्रांतों में विधायिका द्विसदनीय* बनाई गई।
- केंद्रीय विधायिका का कार्यकाल पांच वर्ष और राज्य परिषद को स्थायी बनाया गया।
- प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, जिसकी कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होती थी और वह प्रांतीय मंत्रिमंडल का प्रमुख था।
- प्रांतों में साम्प्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हरिजनों तक किया गया।

http://www.developindiagroup.co.in/